

राजस्थान सरकार
हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर-302017

हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान पुस्तकालय नियमावली

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ – (i) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान पुस्तकालय नियमावली 2016 होगा।
(ii) ये दिशा निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।
2. परिभाषायें – जब तक प्रसंग या विषय द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में
(i) महानिदेशक से अभिप्राय महानिदेशक हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से है।
(ii) अतिरिक्त निदेशक से अभिप्राय अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से है।
(iii) संस्थान से अभिप्राय हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उसके अन्य स्थानों पर स्थित केन्द्र एवं उसकी सहयोगी संस्थाएँ यथा प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, एवं सुशासन केन्द्र है।
(iv) सन्दर्भित नियमित पाठक से अभिप्राय वाचनालय का उपयोग करने हेतु अधिकृत उन पाठकों से है जिनको मासिक शुल्क चुकाने और नियमों के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र में आवेदन करने पर यह सुविधा प्राप्त होगी।
3. सदस्यता का वर्गीकरण: पुस्तकालय की सदस्यता निम्नलिखित श्रेणी में होगी:—
(क) संस्थान में पूर्व में कार्यरत रहे अधिकारियों तथा उनके परिजन (पति/पत्नी एवं स्वयं के अवयस्क बच्चे) तथा वर्तमान में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ उनके परिजन जिसमें पति/पत्नी तथा स्वयं के अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।
(ख) (i) जयपुर में कार्यरत या सेवानिवृत्त भारत सरकार या राजस्थान सरकार के अधिकारीगण।
(ii) पूर्व प्रशिक्षणार्थी (एलूमनी)
(iii) महानिदेशक की विशेष अनुमति से बने सदस्य यथा बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम के अधिकारीगण या अन्य राजकीय कर्मचारीगण।
(ग) संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षणार्थी
(घ) पुस्तकालय के सन्दर्भित नियमित पाठक, जो न्यूनतम 2 संकाय सदस्यों की अभिशंसा तथा महानिदेशक, रीपा के अनुमोदन से ही अधिकतम 3 माह तक पुस्तकालय का उपयोग कर सकेंगे